

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 9, 2015/चैत्र 19, 1937

No. 122]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 9, 2015/CHAITRA 19, 1937

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय
अधिसूचना

चेन्नई, 1 अप्रैल, 2015

फा.सं. भासवि/मु/प्रशा/आरआर/2015.—दिनांक 12 मई 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के अध्याय 9 में प्रकाशित क्रम संख्या 1 (कुलपति पद की भर्ती नियमावली) प्रकाशन का निरसन किया जाता है।

सी. मोहन, कुलसचिव

[विज्ञापन III/4/असा./92-पी/15]

INDIAN MARITIME UNIVERSITY

NOTIFICATION

Chennai, the 1st April, 2015

No. IMU/HQ/ADM/RR/2015.—The Notification published at Serial No.1 (Recruitment Rules for the post of Vice Chancellor), in Chapter 9 of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed.

C. MOHAN, Registrar

[ADVT- III/4/Exty./92-P/15]